भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 438
21 जुलाई, 2023 को जवाब दिया जाएगा

मेडिकल कॉलेजों द्वारा एनएमसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन

438. श्री मोहन मंडावी,
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे,
श्री रणजीत सिंह नायक निंबालकर,
श्री शिवकुमार सी उदासी,
श्री विजय बघेल,
श्री देवजी एम पटेल,
श्री नारनभाई कछाड़िया,
श्री दिलीप सैकिया,
श्री सुनील कुमार सोनी,
श्री अरुण साव

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ख) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के विनियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और पंजीकृत संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के संबंध में इसकी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं;
(ग) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ भारती प्रवीण पवार)

(क) से (घ) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में कुल 482 मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज हैं। मेडिकल कॉलेजों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश विनियम, 2020 के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को अधिसूचित किया है, जिसमें चिकित्सा संस्थानों की स्थापना और

एमबीबीएस पाठ्यक्रम चलाने के लिए मानकों को निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, एनएमसी ने चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, मूल्यांकन और रेटिंग विनियम, 2023 को अधिसूचित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मेडिकल कॉलेजों द्वारा मानकों का अनुपालन किया जा रहा है।

इसके अलावा, एनएमसी चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) के माध्यम से मूल्यांकन रिपोर्ट शपथ-पत्रऔर मानकों को पूरा करने के आधार पर नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना/अनुमति के नवीकरण/सीटों में वृद्धि करने की अनुमति प्रदान करता है जिसमें न्यूनतम मानक आवश्यकता के अनुसार अवसंरचना और शिक्षण संकाय की उपलब्धता भी शामिल है।

इसके अलावा, विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पहल जैसे आधार सक्षम बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली (एईबीएएस), स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) और एनएमसी द्वारा प्रत्येक कॉलेज में सीसीटीवी को मेडिकल कॉलेजों के संकाय, रोगी भार, नैदानिक सामग्री और बुनियादी ढांचे की निगरानी के लिए लागू किया गया है।

अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कॉलेजों की कुल संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
2	आंध्र प्रदेश	30
3	अरुणाचल प्रदेश	1
4	असम	7
5	बिहार	13
6	चंडीगढ़	1
7	छत्तीसगढ़	10
8	दादरा और नगर हवेली	0
9	दिल्ली	8
10	गोवा	1
11	गुजरात	27
12	हरियाणा	11
13	हिमाचल प्रदेश	8
14	जम्मू और कश्मीर	5
15	झारखंड	3
16	कर्नाटक	56
17	केरल	31
18	मध्य प्रदेश	19
19	महाराष्ट्र	49
20	मणिपुर	2
21	मेघालय	1
22	मिजोरम	1
23	ओडिशा	11
24	पांडिचेरी	9
25	पंजाब	9
26	राजस्थान	21
27	सिक्किम	1
28	तमिलनाडु	48
29	तेलंगाना	26
30	त्रिपुरा	2
31	उत्तर प्रदेश	46
32	उत्तराखंड	6
33	पश्चिम बंगाल	18

****